उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या-524/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 29 जून, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 06 वर्ष 2017)" की धारा 50 की उपधारा (1) और (3), धारा 54 की उपधारा (12) और धारा 56 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों के क्रम में नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट धाराओं के के प्रयोजनों हेतु उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज दर प्रतिवर्ष नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सारणी

क्रम संख्या	धारा	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1	धारा 50 की उपधारा (1)	18 प्रतिशत
2	धारा 50 की उपधारा (3)	24 प्रतिशत
3	धारा 54 की उपधारा (12)	6 प्रतिशत
4	धारा 56	6 प्रतिशत
5	धारा 56 का परन्तुक	9 प्रतिशत

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संं0 524/2017/9(120)/XXVII(8)/2017तद्दिनांक।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0
6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.524/ 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 524/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 29 June, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, in the continuation the recommendations of Goods and Services Tax Council, is pleased to allow to fix the rate of interest per annum for the purposes of the sections as specified in column (2) of the Table below as mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table:-

Table

Serial Number	Section	Rate of interest
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-section (1) of section 50	18 per cent.
2.	Sub-section (3) of section 50	24 per cent.
3.	Sub-section (12) of section 54	6 per cent.
4.	Section 56	6 per cent.
5.	Proviso to section 56	9 per cent.

2. This notification shall come into force from the 1st day of July, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary